

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)**

**दां0प्र0क0-40 / 2011**

**संस्था0दि0 22 / 02 / 11**

**फाईलिंग नं. 233504000132011**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

**—: विरुद्ध :—**

विनयपाल पिता धनराज, उम्र 25 वर्ष,  
जाति गाडरी, पेशा कृषि, नि0 सोमलापुर,  
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्त**

**—: निर्णय :—**

**(आज दिनांक 16 / 12 / 2016 को घोषित)**

- 1— अभियुक्त विनयपाल के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279 एवं मो0व्ही0एक्ट की धारा 3/181, 39/192 के तहत अभियोग है कि दिनांक 09/02/11 को शाम 7 बजे तहसील कार्यालय एवं नाग मंदिर के पास आमला रोड़ पर थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत मोटर साईकिल सी.डी. डिलक्स काले रंग की, बिना रंग को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। आपने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। आपने उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन कराये चलाया।
- 2— दिनांक 06/10/16 को फरियादी सुरेश से तथा दिनांक 07/10/16 को फरियादी धर्मेश सोलंकी से आरोपी का राजीनामा होने से भा0दं0वि0 की धारा-337(दो बार) के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05/02/11 की शाम 7 बजे वह मित्र धर्मेश सोलंकी के साथ उसकी मोटर साईकिल नं. एम.पी. 48 एम.बी. 3632 जम्बाडा से बोड़खी आ रहा था कि तहसील के सामने नाग मंदिर के पास सोमलापुर का विजयपाल उसकी सी.डी. डीलक्स मो0सा0 बिना नम्बर की बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते लाया और उनकी मोटर साईकिल में ठोस मार दी। वह दोनों गिर गये, उसके दाहिने हाथ में चोट आई धर्मेश को सीधे पैर में चोट आई। उसने घर जाकर माता सुकीबाई, चाची रामकली को बताया, फिर डॉ. चौरिया के यहां जाकर इलाज कराया।
- 4— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध

अपराध क्रमांक 34/11 भा.द.सं धारा-279,337 एवं मोटर व्हीकल एक्ट 3/181, 337, 39/192 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 07/11/11 को घटना स्थल का घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 बनाया गया, दिनांक 18/02/11 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया गया, फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, दिनांक 18/02/11 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 6 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— प्रकरण में धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— :न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 09/02/11 को शाम 7 बजे तहसील कार्यालय एवं नाग मंदिर के पास आमला रोड़ पर थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत मोटर साईकिल सी.डी. डिलक्स काले रंग की, बिना रंग को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया?”

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया?”

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण**

7— अभियोजन साक्षी सुरेश (अ.सा.01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह उसके दोस्त धर्मेस के साथ उसकी मोटर साईकिल क्रं. एम0पी0 48 एम.बी. 3632 से बोड़खी जा रहा था, तभी सामने से आरोपी विनयपाल एक बिना नम्बर की मोटर साईकिल सी0डी0 डिलक्स चलाते हुए लाया और अचानक वह दोनों की मोटर साईकिल टकरा गई। जिससे वह सड़क पर गिर गये। दुर्घटना में उसे व धर्मेन्द्र को चोट आई। दुर्घटना से उसके हाथ में चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने मोटर सायकिल को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल को टक्कर मारी थी जिसके कारण उसे चोट आई थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन

प्र0पी0 3 का ए से ए भाग का बयान दिया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

8— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ में राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी उसकी दिशा से धीरे-धीरे गति से मोटर साईकिल चला रहा था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा मोटर साईकिल सी.डी. डिलक्स काले रंग की, बिना रंग को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 279 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी धर्मे श सोलंकी (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसका दोस्त सुरेश जम्बाड़ा से बोड़खी वापस जा रहे थे, तभी सामने आरोपी विनयपाल एक बिना नम्बर की मोटर साईकिल चलाते हुए लाया और उनकी मोटर साईकिल को टक्कर मार दिया टक्कर मारने से वह और उनकी मोटर साईकिल चला रहा सुरेश वह दोनों घायल हो गये है उसके दाहिने पैर के पंजे एवं घुटने की नीचे चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट सुरेश ने की थी। आरोपी ने तेज गति से गाड़ी नहीं चलाई थी। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को बिना नम्बर की मोटर साईकिल को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना की थी। आगे इस गवाह ने भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र0पी0 4 का ए से ए भाग का बयान दिया था।

10— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना अचानक हुई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना किसी की गलती से नहीं हुई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्नों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की।

11— अभियोजन साक्षी सरजेराव घोंसले (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि दिनांक 07/02/11 को अपराध क्रं. 34/11 की केश डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर उसने घटना स्थल पर जाकर मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 18/02/11 को आरोपी विनयपाल के कब्जे से साक्षी अजय एवं हेमराज के समक्ष एक मोटर साईकिल सी.डी. डिलेक्स जिसका चेचिस नं. एम.बी.एल.एच ए 11 ई एम.बी. 9ए 01036 एवं इंजन नं. एच ए 11 ईबी 9ए 10697 था उस वाहन का बीमा पत्रक जप्त किया था। आरोपी ने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस मांगने पर आरोपी ने रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस नहीं होना बताया था। उसने जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 तैयार

किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— उसने गवाह के समक्ष आरोपी विनयपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 6 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रार्थी सुरेश साक्षी धर्मेन्द्र, रामकली, एवं सुखीबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और स्वयं फरियादी व आहत ने अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाना, अपनी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह की साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने मोटर साईकिल सी.डी. डिलक्स काले रंग की, बिना रंग को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं. 2, 3 का निराकरण**

14— अभियोजन साक्षी सुरेश (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अचानक उन दोनों की मोटर साईकिल टकरा गई। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र सोलंकी (अ0सा02) ने भी उक्त तथ्यों का समर्थन किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन मोटर साईकिल चला रहा था।

15— अभियोजन साक्षी सरजेराव (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी से उसका ड्रायविंग लायसेंस तथा रजिस्ट्रेशन मांगा था तो अभियुक्त ने नहीं होना बताया था, किन्तु उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन व चुनौती नहीं दी गई है जिससे यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को अभियुक्त बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 2,3 निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

16— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्त-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने मोटर साईकिल सी.डी. डिलक्स काले रंग की, बिना रंग को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। इस प्रकार अभियुक्त विनयपाल को भा0द0वि0 की धारा 279 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

17— अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्त-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त विनयपाल ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया। इस प्रकार अभियुक्त विनयपाल को मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, व 39/192 का आरोप प्रमाणित पाए जाने से दोषसिद्ध किया जाता है।

18— उर्पयुक्त अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त विनयपाल ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है मात्र अर्थदण्ड से

दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः अभियुक्त विनयपाल को मोटर यान अधिनियम की धारा- 3/181 के आरोप में 200/- (दो सौ) रुपये एवं धारा- 39/192 के आरोप में 2000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। उक्त अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

19- प्रकरण में अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

20- प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकिल बिना नम्बर की चेचिस नं. एम. बी.एल.एच.ए. 11 ई.एम.बी. 9 ए/01036 आवेदक/सुपुर्ददार सुरेन्द्र पाल पिता धनराज पाल की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0